



पीएम-वाणी

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री [वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस \(पीएम-वाणी/PM-WANI\)](#) ढाँचे का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट स्थापित करके पूरे भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेज़ी लाना है।

- नवंबर 2024 तक 246,993 हॉटस्पॉट स्थापित किये जाने के साथ, यह पहल [भारत के डिजिटल इंडिया मशिन](#) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सस्ती और व्यापक इंटरनेट पहुँच प्रदान करना है।

पीएम-वाणी क्या है?

- दूरसंचार विभाग (DoT)** द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किये गए **पीएम-वाणी** फ्रेमवर्क का उद्देश्य पूरे भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है।
 - यह दुकानदारों जैसे स्थानीय व्यवसायों को **वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित** करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे **कफायती इंटरनेट पहुँच उपलब्ध** के साथ **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018** के लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।
- महत्त्व:** स्थानीय व्यवसायों को **लाइसेंस या शुल्क की आवश्यकता के बिना वाई-फाई प्रदाता** बनने में सक्षम बनाकर, यह योजना व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देती है तथा तीव्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।
 - पीएम-वाणी** से **इंटरनेट पहुँच** में उल्लेखनीय सुधार आएगा तथा **डिजिटल समावेशन और नवाचार** को बढ़ावा मिलेगा।
- पीएम-वाणी इकोसिस्टम:**
 - पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO):** पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना, रखरखाव और संचालन करता है।
 - PDO दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट बैंडविड्थ प्राप्त करके लास्ट-मील कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं तथा ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करते हैं।
 - पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA):** PDO को प्राधिकरण और लेखांकन जैसी एकत्रीकरण सेवाएँ प्रदान करता है।
 - PDOA अंतिम उपभोक्ताओं तक सेवाएँ पहुँचाने में PDO को सुविधा प्रदान करता है।
 - ऐप प्रदाता:** उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने और आस-पास के PM-WANI अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट परदर्शित करने के लिये एक एप्लिकेशन विकसित करता है। इंटरनेट सेवा तक पहुँच प्रदान करने हेतु संभावित ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करता है।
 - सेंटरल रजिस्ट्री:** यह ऐप प्रदाताओं, PDOA और PDO का विवरण प्रदान करती है। वर्तमान में इसका प्रबंधन **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT)** द्वारा किया जाता है।
 - C-DoT** की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। यह **दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग** का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास (शोध एवं विकास) केंद्र है। यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत सोसायटी है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018

- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बढ़ाकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलना है।
 - राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 द्वारा वर्ष 2022 तक **10 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित** करने का लक्ष्य रखा गया है।
- मुख्य उद्देश्य:** सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुँच सुनिश्चित करना, चार मिलियन रोजगार सृजित करना, डिजिटल संचार क्षेत्र के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** योगदान को 8% तक बढ़ाना और डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।
- प्रमुख विशेषताएँ:** इसमें सभी नागरिकों के लिये **50 MBPS** की गति से ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना, जिन क्षेत्रों में सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना**, दस लाख व्यक्तियों को **नए युग के कौशल के प्रशिक्षण प्रदान करना**, शामिल है।
 - राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 **इंटरनेट ऑफ थिंग्स** पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने, डेटा संरक्षण स्थापित करने और डिजिटल संचार में जवाबदेही एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 और वाई-फाई हॉटस्पॉट लक्ष्य:** भारत अपने सार्वजनिक वाई-फाई रोलआउट लक्ष्य से चूक गया है, नीति द्वारा निर्धारित **10 मिलियन लक्ष्य** के बजाय केवल **0.5 मिलियन हॉटस्पॉट** ही स्थापित कर पाया है।

नोट: भारत **6G वज़िन** का लक्ष्य वर्ष **2030 तक 50 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित** करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण वृद्धि और नमिन कनेक्टिविटी लागत की आवश्यकता होगी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pm-wani-3>

